

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर

मुकाम (एस. डी. बो.) जाबन (नापोर)

कमला देवी बर्मा बनाम हीशलात कर्मा

सं. 45 सन् 2008

| | |
|-----------------------------------|--|
| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------------------------|--|

प्राचीन गण का प्रमाण पर दई शर्त-22-
दिया जावे अपराधी गण को जरिये नोटिस
नल देया जाकर ध्यापन/वास्ते लकी
दिनांक 18-9-08 को देय है।

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. बो.) जाबन (नापोर)

र 9/08 लकील लकी उपाय कर ली गी
के नोटिस लकील अफस लकील गरी
अफसे इकफ्त कर ली गी
24.10.08 की फेरी/मि 18.9.08

अधिकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
प्रीतमोत न... में/अमर/प्रकाश... प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28/11/08 को प्रस्तुत करें।

अधिकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
P.O. साहब, युनाय कार्ड अफस/प्रीतमोत न... में/अमर/प्रकाश... प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/11/08 को प्रस्तुत करें।

R. 0.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

फर्द अहकाम

(नियम-26)

रुमला देवी बनाम ... इरातल वगै

मुकदमा नं. 45/2008

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिषिलस जज |
|----------------|---|
| 29- | पत्रावली न्याय भाग के दार शिबिदू में मरल सेवा केन्द्र |
| 05- | राजौड में पेश हुरी वकील पार्सी के दार तकरी हेडकोर |
| 018 | पश्चात् समय देने के उपरान्त नोडिस तलबना पेश नही |
| | सुकरे है नोडिस तलबना पेश नही करे के कारण पत्र |
| | गण का प्रार्थना पत्र चलने भोग्य नही है इसलिए |
| | शर्तिय किमा जाता है पत्रावली के हाल मुमाए |
| | दोकर नम्बर से कम दोकर उफतर दारिखल है |